न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 05/17 सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/00255

बउनवानीः—

1. कु0 कविता पुत्री बज्जा मीना निवासी भदलाव तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. बज्या पुत्र जन्सी जाति मीना निवासी भदलाव तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कमलेश पुत्र जयराम जाति मीना निवासी भदलाव तह0 व जिला स0मा0
2. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 506 निर्णय दिनांक 25.5.2013 वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री कुंज बिहारी शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री रविन्द्र सिंह हाडा — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 14.8.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 506 निर्णय दिनांक 25.5.2013 वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर में आराजी ख0न0 485/1254 रकबा 0.10 है0 ख0न0 486/1253 रकबा 0.08 है0, ख0न0 487 रकबा 0.51है0, ख0न0 817 रकबा 0.46 है0, ख0न0 819 रकबा 0.78, ख0न0 835 रकबा 0.02 है0, ख0न0 887 रकबा 0.38 है0, ख0न0 915 रकबा 0.40 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.73 है0 अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति है जो अपीलान्ट संख्या 2 को विरासत में मिली है एवं अपीलान्ट संख्या 1 अपीलान्ट संख्या 2 की एक मात्र पुत्री संतान है। रेस्पो. संख्या 1 अपीलान्ट के परिवार का ही सदस्य है जो अपीलान्ट बज्या के भाई का पुत्र है अपीलान्ट के भाई जयराम जो रेस्पो. का पिता है ने अपने रिश्तेदार एवं दोस्त से मिलकर अपीलान्ट संख्या 2 को के.सी.सी. बनाने का झांसा देकर उक्त आराजीयात का गुपचुप रूप से विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के धोखा देकर रजिस्टर्ड करा लिया एवं गुप्त रूप से नामा0 विधि के प्रावधानों के विपरीत तस्दीक करवा लिया है। जबकि उक्त नामा0 तस्दीक करते समय कब्जे संबंधी कोई रिपोर्ट हल्का पटवारी से नही ली गयी है। यह तर्क भी दिया कि तथा कथित विक्रय पत्र के आधार पर बज्या ने अपनी सम्पूर्ण आराजी का विक्रय करना अंकित किया है ऐसे में नामा0 तस्दीक करते समय खातेदार से जमाबन्दी प्राप्त करना आवश्यक था। विक्रय पत्र दिनांक 10.4.2013 का है तथा मात्र 8 दिन में ही पटवारी हल्का ने नामा0 भरकर प्रस्तुत कर दिया एवं दिनांक 25.5.2013 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जबकि अपीलान्ट संख्या 1 अपीलान्ट संख्या 2 की एक मात्र पुत्री होने से पैतृक सम्पति में उसका भी हिस्सा है जिसे बज्या को बेचने का कोई अधिकार नही है इसी बिना पर नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात का पैतृक सम्पत्ति होना एवं अपीलान्ट संख्या 1 का उसमे हिस्सा एवं अधिकार

डॉ० एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

होने के तथ्यों को रेस्पो.को भली भांति जानकारी में था। यह तर्क भी दिया कि विक्रय पत्र में एक गवाह भदलाव का नही तथा दुसरा गवाह रेस्पो. संख्या 1 के पिता का दोस्त है जो अपीलान्ट से रंजिश रखता है इसी बिना पर अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 10.4.13 को निरस्त करवाने बाबत दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है परन्तु नामा0 निरस्त कराने हेतु अपील श्रीमान के न्यायालय मे पेश की गयी है। यह तर्क भी दिया कि विक्रय पत्र की जानकारी दिनांक 22.10.16 को होने व राजस्व रिकार्ड देखने पर आदेश जैर अपील की जानकारी हुई है। अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट संख्या 2 बज्या पुत्र जन्सी मीना द्वारा दिनांक 10.4.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 485/1254 रकबा 0.10 है0 ख0न0 486/1253 रकबा 0.08 है0, ख0न0 487 रकबा 0.51है0, ख0न0 817 रकबा 0.46 है0, ख0न0 819 रकबा 0.78, ख0न0 835 रकबा 0.02 है0, ख0न0 887 रकबा 0.38 है0, ख0न0 915 रकबा 0.40 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.73 है0 को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में विक्रय की गयी है तथा उक्त विक्रय पत्र से विक्रय की गयी उक्त आराजी का ही उक्त नामा संख्या 506 दिनांक 25.5.2013 अपीलान्ट के नाम दर्ज फैसल किया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है ओर जब तक उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। चूंकि उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र सही अथवा गलत होने का निर्धारण किया जाना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा अपनी खातेदारी आराजीयात का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.4.2013 को रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में किया गया है जिसके आधार पर नामा. संख्या 506 दिनांक 25.5.2013 को तस्दीक किया गया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है ओर जब तक उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। चूंकि उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र सही अथवा गलत होने का निर्धारण किया जाना है। वर्तमान में इस प्रकार विवादित नामा संख्या 506 दिनांक 25.5.2013 वाके ग्राम भदलाव में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 17:22:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: